N.C.R.B/एन.सा.आर.बा
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0193   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 26/07/2025 18:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 01/07/2025   Date To (दिनांक तक): 25/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 13:00 बजे   Time To (समय तक): 14:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/07/2025   Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 26/07/2025 18:44:03 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 4 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b) Address(पता): OM SHIV MAHILA, SHIKSHAK PRASHIKSHAN, MAHAVIDHYALAY DAUSA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GAYATRI MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMESH CHAND MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2004 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHARNWAS, PAPARDA DAUSA, पापडदा , DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHARNWAS, PAPARDA DAUSA, पापडदा , DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH KUMAR CHOBE		पिता:RAMKARAN CHOBE	1. OM SHIV MAHILA,SHIKSHAK PRASHIKSHAN,MAHAVIDHYALAY DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	5000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 01.07.2025 को समय करीब 01.10 पीएम पर श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया तथा अपने पास बैठी परिवादिया गायत्री मीना पुत्री श्री रमेश चन्द मीना निवासी ग्राम धरणवास पोस्ट व तहसील पापडदा जिला दौसा व उसकी सहेली कोमल से परिचय करवाकर बताया कि परिवादिया द्वारा समय करीब 01.00 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यवाही हेतु एक लिखित रिपोर्ट पेश की गई है जो अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको मार्क किया है, फिर परिवादिया की लिखित रिपोर्ट व उसके संलग्न संदिग्ध आरोपी का प्रिंसिपल के पद पर पदस्थापित होने का पत्र व परिवादिया के कॉलेज परिचय पत्र के अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान किये। तत्पश्चात आदेश की पालना में मैने परिवादिया द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट तथा परिवादिया एंव उसकी सहेली को साथ लेकर श्रीमान के कक्ष से अपने कक्ष में आया तथा परिवादिया कि लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित करते हुये इस आशय की पाई गई कि मै बीएड कॉलेज ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मुझसे बीएड कॉलेज के प्रिंसीपल श्री राकेश कुमार चोबे द्वारा कॉलेज प्रबन्धक (डायरेक्टर) के नाम पर मेरे प्रेक्टिकल में नम्बर बढाने के लिए 3,000 रूपये एवं उपस्थिति पुरी करने के लिए 3,000 रूपये कुल 6,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है और उक्त रिश्वत राशि देने के लिए कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा आये दिन मुझे परेशान किया जा रहा है। प्रिंसिपल राकेश कुमार चोबे द्वारा कॉलेज की अन्य छात्राओ से भी रिश्वत की मांग कर उनको भी परेशान किया जा रहा है। मै प्रिंसिपल राकेश कुमार चोबे को रिश्वत नही देना चाहती हूँ जबकि उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहती हुँ। मेरी प्रिंसीपल राकेश कुमार चोबे से कोई रंजिश व दुश्मनी नही है और न ही कोई उधार का लेन देन बाकी है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करे। परिवादिया की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादिया से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादिया ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपने स्वंय द्वारा बोल बोल कर टाईप वाले से टाईप करवाकर लाना एवं उसमें अंकित सभी तथ्यो की ताईद करते हुये सभी तथ्य सही होना ताईद किया गया। तत्पश्चात परिवादिया की सहेली से पूछताछ की गई तो परिवादिया की सहेली ने परिवादिया की बातों की ताईद की। इसके बाद परिवादिया को कार्यवाही के लिए मांग सत्यापन के बारे में बताया गया तो परिवादिया ने बताया कि साहब आगे की कार्यवाही में मेरी सहेली कोमल भी मेरे साथ ही रहेगी, प्रिंसिपल साहब इनके सामने ही मेरे से रिश्वत की मांग कर लेते है। परिवादिया की लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया गया। इसके बाद समय 02.00 पीएम पर परिवादिया गायत्री मीना व उसकी सहेली कोमल का परिचय श्रीमती पुनम कॅवर महिला कानि0 84 व श्री मुकेशचन्द कानि0 101 से करवाया जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर मैक सोनी निकालकर उसमें 16 जीबी नया एसडी कार्ड लगाकर परिवादिया गायत्री मीना को उसे चलाने व बन्द करने की विधि समझाई जाकर, वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादिया को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को टेप करने की समझाईस की जाकर वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द श्रीमती पुनम कॅवर महिला कानि0 को सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु परिवादिया व उसकी सहेली कोमल के साथ श्रीमती पुनम कॅवर महिला कानि0 84 व श्री मुकेशचन्द कानि0 101 को मुनासिब हिदायत कर परिवादिया की स्कूटी व मोटर साईकिल से बीएड कॉलेज ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा के लिए रवाना किया गया। इसके बाद 04.00 पीएम पर श्रीमती पुनम कॅवर महिला कानि0 व श्री मुकेशचन्द कानि. नं. 101 मय परिवादिया गायत्री मीना एंव उसकी सहेली कोमल के रवाना शुदा बाद गोपनीय मांग सत्यापन के संदिग्ध आरोपी श्री राकेश कुमार चोबे प्रिंसिपल बीएड कॉलेज ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा से वार्ता कर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादिया गायत्री मीना ने मेरे द्वारा सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश कर बताया कि मैं, मेरी सहेली और आपकी महिला कानि. श्रीमती पुनम कॅवर व श्री मुकेशचन्द कानि0 आपके कार्यालय से रवाना होकर बीएड कॉलेज ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा के पास पहुंचे, जहां पर श्रीमती पुनम कॅवर ने मुझे टेपरिकार्डर चालू कर दिया, तो मैं टेप रिकार्डर को लेकर अपनी सहेली के साथ कॉलेज में चली गई और पुनम कॅवर व श्री मुकेशचन्द कानि0 हमारे उपर नजर रखते हुये उस कॉलेज के बाहर ही खडे हो गये। हम कॉलेज में प्रिंसिपल राकेश कुमार चोबे के कार्यालय कक्ष में गये तो वह हमें अपने कक्ष में कार्य करते हुये मिले और उनके पास कुछ लडकिया खडी

मिली जो उनसे अपने कार्य बाबत वार्ता कर रही थी। इसके बाद मैने प्रिंसिपल साहब से मेरे कार्य बाबत बात कि तो प्रिसिंपल साहब ने मेरे से मेरे प्रेक्टिकल में अच्छे नम्बर देने के लिए 3,000 रूपये एवं मेरी उपस्थिति पुरी करने के लिए 3,000 रूपये कुल 6,000 रूपये रिश्वत की मांग की, फिर मेरे एंव मेरी सहेली कोमल द्वारा कम करवाने के लिए उनसे काफी रिकवेस्ट करने पर उन्होने कम करते हुये 5,000 रूपये देने के लिए कहा तो मैने परसों दिनांक 03.07.2025 को देने के लिए कहा तथा प्रिंसिपल साहब ने कहा मेरे पर सख्त आदेश है उपर से, नही मै देने को तो उसी दिन दे देता हमने प्रिंसिपल से हुई सभी वार्ताओं को टेपरिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसके बाद हम वहा से रवाना होकर श्रीमती पुनम कॅवर व श्री मुकेशचन्द कानि0 के पास आये व वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया। इसके बाद उन दोनों को मैने प्रिंसिपल राकेश कुमार चोबे से हुई सभी बाते बताई। तत्पश्चात वहा से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये। परिवादिया द्वारा बताई गई बातों की ताईद उसकी सहेली कोमल व श्रीमती पुनम कॅवर व श्री मुकेशचन्द कानि0 ने भी की। इसके बाद परिवादिया गायत्री मीना द्वारा पेश किये गये वाईस रिकॉर्डर को चालूकर सुना गया तो उसमें आई वार्ता में श्री राकेश कुमार चोबे प्रिंसिपल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा ने परिवादिया से डायरेक्टर के नाम पर उसके प्रेक्टिकल में अच्छे नम्बर देने एवं उपस्थिति पुरी करने की एवज 6,000 रूपये रिश्वत की मांग कर फिर परिवादिया एंव उसकी सहेली कोमल द्वारा कम करवाने के लिए उनसे काफी रिकवेस्ट करने पर उन्होने कम करते हुये 5,000 रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया तथा परिवादिया द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि होना पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। आईन्दा स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने पर डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को बाहर निकालकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मांग सत्यापन व जब्ती एसडी कार्ड/डीवीडी तैयार कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् परिवादिया व उसकी सहेली कोमल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5.000 रूपये अपने साथ लेकर दिनांक 03.07.2025 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 03.07.2025 समय 09.30 ए.एम. पर परिवादिया गायत्री मीना व उसकी सहेली कोमल कार्यालय में उपस्थित आई, जिनको ट्रेप कार्यवाही के दौरान संदिग्ंध आरोपी को दी जाने वाली राशि के बारे में पूछा गया तो परिवादिया ने बताया कि साहब मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नही हुई है और कल से मेरी परीक्षा भी है मै उसकी पढाई में ब्यस्त हूॅं, मेरी परीक्षा दिनांक 14.07.2025 को समाप्त हो रही है उसके बाद ही मै प्रिंसिपल साहब के पास जाऊंगी और प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे 15.07.2025 को देने के लिए कहा है, मै रिश्वत राशिकी व्यवस्था कर दिनांक 15.07.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगी। इस पर परिवादिया की बातो को सही मानते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादिया व उसकी सहेली को कार्यालय में बैठाया गया। समय 10.30 ए.एम. पर पूर्व के पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री श्याम लाल बुनकर हाल कृषि अधिकारी(फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा एवं श्री रामकिशोर मीना कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा कार्यालय में उपस्थित आने पर उनसे परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादिया गायत्री मीना व उसकी सहेली कोमल से परिचय करवाया जाकर परिवादिया द्वारा दिनांक 01.07.2025 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादिया के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादिया से पूछताछ की तो परिवादिया ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने स्वंय द्वारा बोल बोल कर टाईप वाले से टाईप करवाकर लाना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादिया की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादिया उसकी सहेली कोमल तथा संदिग्ध आरोपी श्री राकेश कुमार चोबे प्रिंसिपल के मध्य रिश्वत राशिमांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादिया ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 01.07.2025 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान, परिवादिया व उसकी सहेली कोमल की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादिया से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब- शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री राकेश कुमार चोबे प्रिंसिपल की आवाज व अपनी स्वंय तथा अपनी सहेली कोमल की आवाज की पहचान परिवादिया गायत्री मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादिया तथा उसकी सहेली कोमल ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता के एसडी कार्ड व डीवीडी बनाने हेतु दो एसडी कार्ड 16 जीबी व दो डीवीडी खाली मंगवाई जाकर उनको खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी-बारी से दो एसडी कार्ड 16 जीबी व दो डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर दोनों एसडी कार्ड 16 जीबी व दोनों डीवीडी पर मार्क- A-1, A-2, A-3, A-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादिया गायत्री मीना व उसकी सहेली कोमल के हस्ताक्षर करवाकर दोनों एसडी कार्ड 16 जीबी

न्यायालय हेतु मार्क A-1, A-2, को एसडी कार्ड कवर में व एक डीवीडी आरोपी हेतु मार्क A-3 को प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनों एसडी कार्ड 16 जीबी व डीवीडी को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एचएम मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा दूसरी डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। रिकॉर्ड शुद्धा वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट मेरे के निर्देषानुसार कार्यालय के कम्प्यूटर पर श्री मुकेशचन्द कानि0 101 से तैयार करवाई गई। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती एसडी कार्ड 16 जीबी व डीवीडी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। समय 04.30 पी.एम.परिवादिया गायत्री मीना व उसकी सहेली कोमल को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशिअपने साथ लेकर व दोनों गवाहान को भी अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.07.2025 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 15.07.2025 समय 11.30 ए.एम. पर परिवादिया गायत्री व उसकी सहेली कोमल पूर्व से पाबन्दषुदा कार्यालय में उपस्थित आयी और मुझको बताया की हमारी परीक्षा तो खत्म हो चुकी है लेकिन हमारे प्रैक्टिकल की दिनांक नही आयी है और अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था भी नही हुई है और ना ही हमारे सर का हमारे पास पैसे मांगने के लिये फोन आया है। मै व मेरी सहेली कोमल पैसे की व्यवस्था होते ही आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जायेगे। परिवादिया व उसकी सहेली कोमल को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 21.07.2025 समय 11.30 ए.एम. पर परिवादिया गायत्री मीना एंव उसकी सहेली कोमल के साथ कार्यालय में उपस्थित आयी, परिवादिया को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि बाबत पूछा तो परिवादिया ने 5000 हजार रूपये अपने पास होना बताया। जिस पर परिवादिया व उसकी सहेली को कार्यालय में बिठाया गया एवं समय 11.45 ए.एम पूर्व से पाबन्दषुदा स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम लाल बुनकर पुत्र श्री बद्री प्रसाद बुनकर उम्र 50 साल जाति बलाई निवासी ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर हाल कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा व श्री रामकिशोर मीना पुत्र श्री बद्रीनारायण मीना उम्र 37 जाति मीना निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा, तहसील आँधी जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा उपस्थित कार्यालय आये। परिवादिया की सहेली कोमल द्वारा मुझको बताया की अब आगे की कार्यवाही मेरी सहेली गायत्री मीना ही करवायेगी, इस पर समय 12.05 पीएम दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मेरे द्वारा परिवादिया गायत्री मीना से संदिग्ध आरोपी श्री राकेश कुमार चोबे प्रिंसिपल, ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिला दौसा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादिया ने अपने पास से 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/-रू0 निकाल कर पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल वाईस टेपरिकार्डर में दर्ज कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर के शामिल पत्रावली की गई। समय 1.40 पीएम पर स्वतन्त्र गवाह के समक्ष संदिग्ध आरोपी की कॉलेज में उपस्थित होने की जानकारी हेतु परिवादिया गायत्री मीना को कहा गया तो परिवादिया द्वारा अपनी कॉलेज की सहेली से जरिये दूरभाष वार्ता कर मालूमात कर बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री राकेश कुमार चोबे किसी कार्य से जयपुर यूनिवर्सिटी के लिये दोपहर वाली ट्रेन से जा रहे है। आरोपी के कॉलेज से बाहर जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही आज किया जाना संभव नही है इसलिये आईन्दा ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। परिवादिया के पायजामें की दायी जेब में रखी रिश्वत राशि 5000 रूपये को दोनो गवाहान के समक्ष श्रीमति मंजू हैड कानि0 से बाहर निकलवाकर गिना जाकर उन नोटो के नम्बरो का मिलान किया गया तो वही नोट होना पाये गये जिनको एक खाकी कलर के लिफाफे में रखवाकर तथा सुपुर्दषुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर को परिवादिया से प्राप्त कर सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। परिवादिया एवं गवाहान को बाद हिदायत कार्यालय से रूख्सत किया गया। इसके बाद दिनांक 25.7.2025 समय 1.30 पीएम परिवादिया गायत्री मीना अजखुद अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यालय आई एवं मुझको श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक के सामने बताया कि मै आज हमारी कॉलेज में गयी थी जहां मेरे प्रिंसिपल साहब श्री राकेश जी मिले और मुझसे मेरे प्रेक्टीकल में अच्छे नम्बर देने व उपस्थिति पूरी करने के लिये 5 हजार रूपये मांगे मैने उनको कहा कि मै अभी तो नही लायी लेकिन मै एक घंटे में बैंक से निकलवाकर लाउंगी उन्होने मुझे एक घण्टे में वापस पैसे लेकर बुलाया है इसलिये मै आज वापस मेरे द्वारा करवायी जा रही कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके पास आयी हूॅ परिवादिया को कार्यालय में बिठाया गया एवं कार्यवाही के पूर्व से पाबंदषुदा स्वतंत्र गवाहान को तलब करने पर उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय में बिठाया गया । इसके बाद स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम लाल बुनकर व श्री रामकिशोर मीना व परिवादिया श्री गायत्री मीना के समक्ष दिनांक 21.07.2025 को परिवादिया द्वारा पेशषुदा रिश्वत राशि5000 रूपये जिन पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगा हुआ को खाकी लिफाफे में रखवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया था को श्रीमती मंजू हैड कानि. मालखाना प्रभारी से निकलवाकर मंजू हैड कानि. से नोटो को गिनवाया गया व उनके नम्बरो का पुनः फर्द पेशकषी से मिलान करवाया गया तो वही नम्बरी नोट होना पाये गये। परिवादिया की जामा तलाषी श्रीमती पुनम कंवर म.कानि. से लिवाई गई तो परिवादिया के पास कोई संदिग्ध वस्तु नही मिली परिवादिया के पास उसका मोबाईल रहने दिया। श्रीमती मंजू हैड कानि. से पूर्व की पेशषुदा रिश्वत राशि5000 रूपये को परिवादिया कि पहने हुये पायजामा की दांयी साईड की जेब में रखवाया गया। मंजु हैड कानि. व

उपस्थित सभी के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। परिवादिया को डिजिटल टेप रिकार्डर मय एसडी कार्ड के सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत लेन-देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने की हिदायत दी गई। समय 2.00 पीएम मै स्वयं मय स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम लाल बुनकर व परिवादिया श्री गायत्री मीना स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री मुकेश कुमार कानि न0 101, व श्रीमति पुनम कंवर म.कानि. 84 प्राईवेट वाहन से तथा श्री नवल किशोर पुलिस उप अधीक्षक सुपरविजन हेतु मय स्टाफ सदस्य श्री बनवारी लाल शर्मा हैड कानि न0 116, श्री राकेश कुमार कानि न0 70, श्री प्रेमप्रकाश कानि न0 382 व गवाह श्री रामकिशोर मीना के सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय दौसा से ओम शिव टीटी कॉलेज जयपुर रोड दौसा के लिए रवाना हुआ। कार्यालय निगरानी हेतु मंजू हैड कानि. को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 2.15 पीएम पर मय हमराहीयान के रवानाशुदा जयपुर आगरा रोड सेलिब्रेशन होटल के पास दौसा पहुंचा, जहां पर वाहनों को रोड पर एक साईड में खडा करवाया गया परिवादिया को संदिग्ध आरोपी के पास बीएड कॉलेज में जाने हेतु म.कानि. श्री पुनम कंवर के हमराह रवाना कर म.कानि. को हिदायत दी गई कि परिवादिया को आरोपी के पास जाने से पूर्व उसको सुपुर्दशुदा डिजीटल टेप रिकार्डर को चालू करवाये मै स्वयं एवं पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के ओम शिव टीटी कॉलेज के अन्दर व सामने रोड पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादिया के मुर्कर्रर ईशारे के इंतजार में कॉलेज के आस-पास ही रूके । इसके बाद समय करीब 02.30 पी.एम. पर ओम शिव टीटी कॉलेज दौसा के मुख्य द्वार पर परिवादिया ने खडी होकर अपने हाथ पर दुपटटा को लपेटकर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा किया। परिवादिया का ईशारा प्राप्त होने पर मै स्वयं दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों व श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक के साथ तुरन्त ही परिवादिया के पास पहुंचे। जहां पर परिवादिया से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पष्चात् परिवादिया ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मुझको बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देषानुसार ओम शिव टीटी कॉलेज दौसा के प्रिंसीपल श्री राकेश कुमार चोबे से मिली जिनके द्वारा मेरे प्रेक्टिकल में अच्छे नंबर देने एवं उपस्थिति पुरी करने के लिए 5000 रूपये रिश्वत की मांग ईशारे से करने पर मैने निकाल कर दिये तो उन्होने कहा कितने तो मैने कहा सर पुरे है, जिन्होने मुझसे प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर रिश्वत राशि उनके पहने हुये कुर्ते की बांयी तरफ की सामने की जेब में रख लिये जो उसके कार्यालय में बैठा हुआ है हो सकता मेरे बाहर आते ही रिश्वत राशि उन्होने उनकी टेबिल की दराज में रख लिये हो। इस पर परिवादिया को हमराह लेकर प्रिंसिपल के कार्यालय में पंहुचा जहां परिवादिया ने सामने कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब ये ही हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राकेश कुमार चौबे है जिन्होने मुझसे अभी अभी 5000 रूपये मेरे प्रेक्टिकल के लिए एवं उपस्थिति पुरी करने के लिए मुझसे प्राप्त की है जो रिश्वत राशिमेरे से उसने लेकर अपने पास रख लिये जो अभी इनके पहने हुये कुर्ते की सामने की बांयी तरफ जेब में रखे हुये है। इस पर मैने एवं डीवाईएसपी साहब ने प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश कुमार चौबे पुत्र श्री रामकरण चौबे जाति ब्राम्हण उम्र 46 साल निवासी श्री राम विहार कॉलोनी जगतपुरा रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर हाल प्रिंसिपल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात् श्री राकेश कुमार चौबे को परिवादिया गायत्री मीना से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 01.07.2025 को 6000 रिश्वत की कहने एवं 5000 रूपये की मांग करना एवं अपनी उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 25.07.2025 को बरवक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादिया से ईशारा कर प्राप्त की गई रिश्वती राशि 5000/-रूपये बाबत पूछा गया, की आपने उक्त राशि परिवादिया से किसके लिये एवं किस काम के लिये लिऐ है तो आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे ने बताया कि साहब ये छात्रा गायत्री मीना मेरे पास दिनांक 01.07.2025 को आयी थी जिसने अपनी उपस्थित कम होने तथा प्रेक्टीकल के बारे में वार्ता की थी जिसके लिये मैने इसको नियमानुसार जो भी छुट मिलती है वह छुट देते हुये इसको 5000 रूपये कॉलेज में जमा करवाने हेतु कहा था मैने इससे कोई रिश्वत की मांग नही की है। इस लडकी ने 5000 रूपये मेरी टेबिल पर रख दिये जिनको मैने उठाकर अपने पास अपने पहने हुये कुर्ते की सामने की बांयी जेब में रख लिये और मै गायत्री को ये रूपये वापस देने के लिये उठ ही रहा था कि आप लोग कार्यालय में आ गये। उक्त रूपयो की कोई रसीद इत्यादी कॉलेज की तरफ से दी जाती हो तो उसके बारे मे बताये इस पर संदिग्ध आरोपी चुप हो गया। आरोपी से 5000 रूपये बाबत पुनः पूछा गया तो आरोपी ने रूपये अपनी पहनी हुई कुर्ते की सामने की बांयी साईड की जेब में होना बताया। तत्पश्चात उक्त कॉलेज आरोपी की होने एवं समस्त स्टाफ आरोपी का होने से मौके पर हो-हल्ला होने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे के दोनों हाथों को स्टाफ सदस्यों से पकडने बाबत कहा तो श्री प्रेमप्रकाश कानि. 382 ने आरोपी का बांया हाथ एवं स्वतंत्र गवाह श्री रामकिशोर मीना ने आरोपी का दांहिना हाथ कलाई के उपर से अलग-अलग पकड लिये। आरोपी के कार्यालय पर लॉक लगवाया गया चुंकि कार्यालय में परिवादिया से संबंधित रिकार्ड को तलाश कर जप्त किया जाना है जिसको पृथक से तलाश कर जप्त किया जावेगा कार्यालय के लॉक लगाकर उसकी चाबी हमराह लेकर आरोपी के दोनों हाथों को पकडे हुए ही मय स्टाफ सदस्यों को सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों में बैठाकर ओम शिवटीटी कॉलेज दौसा से एसीबी कार्यालय दौसा के लिये रवाना होकर समय 02.50 पी.एम. मय परिवादिया मय आरोपी मय ट्रेप टीम के सदस्यो के एसीबी कार्यालय दौसा पर पंहुचां जहां पर आरोपी को हाथ पकडे हुए ही वाहन से निचे उतार कर वाहनो को

कार्यालय के बाहर खडा कर पुलिस उप अधीक्षक कक्ष में आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे को बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी के बताये अनुसार आरोपी के पहने हुये कुर्ते की सामने की बांयी जेब में रखे उक्त पाउडर युक्त रिश्वत राशिको गवाह श्री श्यामलाल बुनकर से आरोपी की जेब से निकलवाकर उनके पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात् कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी तथा बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त रूपयो की गवाह से आरोपी की जेब से निकलवाते हुये व आरोपी के हाथ धुलवाई करवाते हुये की विडियोग्राफी बनवाई गई। विडियोग्राफी जिस सरकारी मोबाईल से बनाई गई उसमें नया एसडी कार्ड डालते समय दिनांक व समय रिसेट हो जाने के कारण विडियोग्राफी में दिनांक 03.01.2025 व समय 12.06 पीएम दर्शा रहा है जबकि विडियोग्राफी की वास्तविक दिनांक 25.07.2025 व समय 2.51 पीएम है। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1,R-2 व L-1,L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद आरोपी के पहने हुये कुर्ते को गरीमा को ध्यान में रखते हुये निकलवाकर एक नई टीशर्ट आरोपी को मंगवाकर पहनवाई गई एवं कुर्ते की उपर की बांयी जेब को उल्टाकर एक साफ प्लास्टिक के गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया जिसमें कुर्ते की उल्टी जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो जेब का धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे मौजूदगान देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क K-1, K-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई एवं आरोपी के कुर्ते की जेब को उलटवाकर धोवन लिया गया था को सुखवाकर जेब पर लाल पैन से गोला कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में सील मोहर कर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क K अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे के पहने हुये कुर्ते की सामने की बांयी साईड की जेब से गवाह श्री श्यामलाल बुनकर से 5000 रूपये निकलवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को गवाह से बाहर निकलवाकर दोनो गवाहन से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का फर्द पेशकषी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों ने नम्बर एक समान होना बताया जिसकी फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। समय 5.00 पी.एम. मै स्वयं मय आरोपी राकेश कुमार चौबे, मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादिया गायत्री मीना व ब्यूरो स्टाफ सदस्य श्रीमती पूनम कंवर म.कानि., श्री बनवारी लाल हैड कानि. व प्रेमप्रकाश कानि0 के परिवादिया से संबंधित रिकार्ड लेने वास्ते व बनाने नक्शा मौका घटनास्थल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा के लिये सरकारी व प्राइवेट वाहनो से गया हुआ बाद रिकार्ड प्राप्त कर एवं फर्द नक्षा मौका घटनास्थल कसीद कर शामिल पत्रावली कर वापस कार्यालय आया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादिया गायत्री मीना व आरोपी राकेश कुमार चौबे प्रिंसिपल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा के मध्य दिनांक 25.07.2025 को रिश्वत राशि लेन-देन के समय रूबरू हुई वार्ता जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादिया की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द समझ आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादिया गायत्री मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादिया ने सही होना स्वीकार किया। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती एसडी कार्ड/डीवीडी रिश्वती राशि लेन देन पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादिया गायत्री मीना के समक्ष उक्त कार्यवाही में उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड SANDISK 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 01.07.2025, को मांग सत्यापन के दौरान परिवादिया व परिवादिया की सहेली कोमल जांगिड व आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे के मध्य रूबरू हुई वार्ता एवं दिनांक 25.07.2025 को रिश्वत राशिलेन-देन के समय परिवादिया गायत्री मीना व आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे के मध्य रूबरू हुई वार्ता वॉइस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड के फोल्डर नम्बर 2 व फोल्डर नम्बर 3 में रिकार्ड की हुई है, इसके अतिरिक्त मेमोरी कार्ड में फोल्डर नम्बर 4 व 5 बने हुये है जो खाली है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड

SANDISK 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर मैमोरी कार्ड SANDISK 16 GB के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क 'SD' अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादिया गायत्री मीना के सामने मेरे द्वारा आरोपी राकेश कुमार चौबे से फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई के वक्त एसीबी कार्यालय दौसा में श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 से सरकारी मोबाईल मे मैमोरी कार्ड डालकर बनाई गई विडियोग्राफी की डीवीडी बनाने हेतु ट्रेप बाक्स से 3 खाली डी0वी0डी0 ली जाकर खाली होना सुनिश्चित कर सरकारी मोबाइल को लैपटाप से जोडकर रिकॉर्डशुदा विडियो की बारी-बारी से 3 डी0वी0डी0 तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर सभी डी0वी0डी0 पर मार्क- V-1,V-2,V-3 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादिया गायत्री मीना के हस्ताक्षर करवाकर डी0वी0डी0 मार्क V-1 न्यायालय हेतु एवं मार्क V-2 आरोपी हेतु प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनो डी0वी0डी0 को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क V-1,V-2 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरी डी0वी0डी0 मार्क V-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं मोबाईल में लगाया जाकर बनाई गई विडियोग्राफी के उक्त मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल से निकाल कर मैमोरी कार्ड SANDISK 16 GB के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क 'SD-1' अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से मोबाइल मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382 से जो डी0वी0डी0 बनवाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एंव कांट छांट नही की गई है।विडियोग्राफी जिस सरकारी मोबाईल से की गई उसमें नया एसडी कार्ड डालते समय दिनांक व समय रिसेट हो जाने के कारण विडियोग्राफी में दिनांक 03.01.2025 व समय 12.06 पीएम दर्शा रहा है जबकि विडियोग्राफी की वास्तविक दिनांक 25.07.2025 व समय 2.51 पीएम है। इसके बाद समय 9.10 पी.एम. इस समय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादिया गायत्री मीना के सामने मैने आरोपी राकेश कुमार चौबे कुमार चौबे पुत्र श्री रामकरण चौबे जाति ब्राम्हण उम्र 46 साल निवासी श्री राम विहार कॉलोनी जगतपुरा रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर हाल प्रिंसिपल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा को अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये अपने स्वयं के लिये तथा कॉलेज संचालक (डायरेक्टर) के नाम पर परिवादिया गायत्री मीना से प्रेक्टिकल में अच्छे नम्बर देने एवं उपस्थिति पुरी करने के लिये मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 01.07.2025 को 6000 रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादिया के अनुरोध करने पर 5000 रूपये की रिश्वत लेने के लिये सहमत होने एवं अपनी उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 25.07.2025 को वरवक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादिया से 5000 रूपये ईशारे से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई कुर्ते की सामने की बांयी जेब रखने एवं उक्त राशि आरोपी की जेब से बरामद होने से आरोपी को अपने संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवा कर जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार उसके मामाजी श्री शिवलहरी शर्मा को दी गई। जिसकी फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। आरोपी को नमूना आवाज देने बाबत कहा गया तो आरोपी ने अपनी स्वेच्छा से अपनी नमूना आवाज देने से इन्कार किया जिसकी पृथक से फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादिया के सामने ट्रेप कार्यवाही में काम ली गई नमूना ब्रास सील पीतल नं. 52 को बाद कार्यवाही कानि श्री मुकेश चन्द नं. 101 से तुडवाकर नष्ट करवाई जाकर फर्द नष्टीकरण पृथक से तैयार की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रापवली की गई। परिवादिया एवं गवाहान को बाद सम्पन्न कार्यवाही के उनके निवास स्थान हेतु रूख्सत किया गया। समस्त कार्यवाही में जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॅा व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 5000/-रूपये को श्रीमती मन्जू, हैड कानि. के मार्फत जमा मालखाना एसीबी दौसा करवाया गया। आरोपी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण निगरानी हेतु थाना कोतवाली में भिजवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी राकेश कुमार चौबे पुत्र श्री रामकरण चौबे जाति ब्राम्हण उम्र 46 साल निवासी श्री राम विहार कॉलोनी जगतपुरा रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर हाल प्रिंसिपल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा के द्वारा वैध पारिश्रमिक के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये अपने स्वयं के लिये एवं कॉलेज संचालक (डायरेक्टर) के नाम पर परिवादिया गायत्री मीना से प्रेक्टिकल में अच्छे नम्बर देने के लिए एवं उपस्थिति पूरी करने के लिये मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 01.07.2025 को 6000 रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादिया के कम करने के निवेदन करने पर 5000 रूपये की रिश्वत लेने के लिये सहमत होना एवं मांग सत्यापन के दौरान परिवादिया द्वारा पैसे जमा कराने की रसीद हेतु अपने पिताजी को रसीद बताने की कहने पर आरोपी द्वारा यह कहना कि " अब ये बता तु मेरे को ये रसीद का काम है क्या ये कौन समझायेगा एवं इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा परिवादिया से यह कहना कि "वो नही है मै, मेरे पर सख्त आदेश है उपर से, नही मै देने को तो उसी दिन दे देता तुमको" एवं अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 25.07.2025 को वरवक्त ट्रेप कार्यवाही

परिवादिया से 5000 रूपये मांग के अनुशरण में ईशारे से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई कुर्ते की सामने की बांयी जेब में रखने एवं उक्त राशि आरोपी की जेब से बरामद होने व आरोपी की हाथ धुलाई व कुर्ते की जेब धुलाई का रंग हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी राकेश कुमार चौबे पुत्र श्री रामकरण चौबे जाति ब्राम्हण उम्र 46 साल निवासी श्री राम विहार कॉलोनी जगतपुरा रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर हाल प्रिंसिपल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय प्रेषित है। (रमेश चन्द) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा। ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राकेश कुमार चौबे पुत्र श्री रामकरण चौबे जाति ब्राह्मण उम्र 46 साल निवासी श्री राम विहार कॉलोनी जगतपुरा रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर हाल प्रिंसीपल ओम शिव महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविधालय जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अलवर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 702 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1098-1100 दिनांक 26.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम-2 2. उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-प्रथम जयपुर 3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा, उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/07/2025 19:32:47

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)